वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



संख्या/No. 5-1(3)/2008-PD

दिनांक/Dated 19th **Outober**, 2008

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन) Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान The Director/Heads of all National Labs./Instts of CSIR

Sub: Orders relating to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations.

Sir,

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by Government of India relating to implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations for information, compliance and necessary action:-

मुझे भारत सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन आपको सूचना, अनुपालन तथा

आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है :-

SI. No	O.M.No. and date	Subject
1.	13018/2/2008-Estt.(L) dated 29.9.2008.	Grant of Child Care Leave to women Government employees- Clarification regarding.
2.	4/6/2008-Estt. (Pay.II) dated 1.10.2008.	Handling Allowance – Recommendations of the Sixth Central Pay Commission.
3.	7(1)E.Coord/2008 dated 1.10.2008	Expenditure Management —Economy Measures and Rationalization of Expenditure —Supplementary guidelines related to TA/DA.
4.	1(3)/ 2008-EII(B) dated 3.10.2008	Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.7.2008 to the employees of Central Govt. and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised scale.
5.	12(1)E-II-A/2008 dated 24.10.2008	Commission recommendation.
6.	13018/2/2008-Estt.(L) dated 18.11.2008.	Child Care Leave in respect of Government employees as a result of Sixth Central Pay Commission - Clarification regarding.

भवदीय, मुज्जा के कुमार मुखर्जी) अवर सचिव

Encls: as above संलग्न: यथोपरि:

जारी.-

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: csirhg@sirnetd.ernet.in

प्रतिलिपिः

- सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के विरष्ट उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/विरिष्ठ वित्त एंव लेखा
 अधिकारी/ वित्त एंव लेखा अधिकारी
- 2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ट प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
- 3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
- 4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
- 5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
- 6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
- 7. उप सचिव (के.का.)/उप सचिव(काम्पलैक्स)
- 8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/आर.डी.पी.डी/टी.एन.बी.डी./इस्टैड
- 9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
- 10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सिचव/उप सिचव/अवर सिचव
- 11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
- 12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
- 13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग इस अनुरोघ से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

No. 4/6/2008-Estt. (Pay II) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training

New Delhi, dated the 1st October, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject:

Revision of Special Allowance and Cash Handling Allowance – Recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission and in supersession of this Department's O.M. No. 4/4/97-Estt. (Pay II) dated 22.4.98 and O.M. No. 4/5/97-Estt. (Pay II) dated 5.5.98 on the subject of Special Allowance and Cash Handling Allowance respectively, the President is pleased to double the existing rates of these Allowances. The rates of these allowances will be increased by 25% every time the Dearness Allowance payable on revised pay scales goes up by 50%.

- 2. These orders shall be effective from 1st September, 2008.
- 3. Insofar as persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.
- 4. Hindi version follows.

C. ally?

(Rita Mathur)

Director

To

All Ministries/Departments as per standard list.

<u>Copy to</u>: Director (NIC), Department of Personnel & Training, to upload the O.M. on this Department's website under the Head "Establishment (Pay)", Sub-Head "Pay Rules".

Copies also forwarded to:

- 1. The Comptroller & Auditor General of India and all States under his control. (With 400 spare copies)
- 2. Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
- 3. Secretaries to UPSC/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
- 4. Department of Personnel & Training (AIS Division)/JCA/Admn. Section.
- 5. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
- 6. All State Governments and Union Territories.
- 7. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi
- 8. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
- 9. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioners' Welfare.
- 10. Ministry of Finance, Department of Expenditure
- 11.50 spare copies.

رسمان (Rita Mathur) Director

सं. 4/6/2008-स्थापना(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली ; दिनांक : 1 अक्ट्रक्2008

कार्यालय जापन

विषय :- विशेष भते और रोकड़ कार्य संबंधी भते में संशोधन – छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की

सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए निर्णय के परिणामस्वरूप तथा विशेष भत्ते और रोकइ संबंधी भत्ते विषय पर इस विभाग के दिनांक 22.04.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/ 97-स्था.(वेतन-II) तथा दिनांक 5.5.98 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/5/97-स्था.(वेतन-II) के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, मौजूदा दर्रों को दोगुना करती हैं । संशोधित वेतनमानों पर देय मंहगाई भत्ते की दर प्रत्येक बार 50% होने पर, इन भतों की दरें 25% बढ़ जाएंगी।

- 2. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् जारी किए जाते हैं।
- 3. ये आदेश 01 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।

रीता भर ५% (रीता माथुर) निदेशक

सेवा में.

सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) ।

प्रतिलिपि:- निदेशक (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को "स्थापना (वेतन)" शीर्ष, "वेतन नियमावली" उप शीर्ष के अंतर्गत इस विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय जापन को लोड करने के लिए ।

प्रति निम्नलिखित को भी प्रेषित :-

- 1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य।
- 2. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ।
- 3. संघ लोक सेवा आयोग/भारत के उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव गण ।
- 4. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से.प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग ।
- 5. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय ।
- 6. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र।
- 7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
- 8. जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद्/विभागीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
- 9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पॅशन और पॅशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।
- 10. वित्त मंत्रालय, ट्यय विभाग ।
- 11. 50 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

रीता मापुर (रीता माथुर)

निदेशक